HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15736/2025

Nagina Sansi W/o Omprakash Sansi, Aged About 28 Years, R/o Ladnu, Police Station Ladnu, District Nagaur, Currently Tenant Of Kachhi Basti, Mali Ki Kothi, Bagrana, Police Station Kanota, District Jaipur East. (At Present Confined At Mahila Jail, Jaipur)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girraj P Sharma
For Respondent(s)	:	Ms. Arti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/02/2026

प्रार्थिया की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना प्रताप नगर, जिला–जयपुर शहर पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 734/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया–अभियुक्ता का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया–अभियुक्ता के आधिपत्य से 224 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम स्मैक से कम है। उनका तर्क है कि जिस वक्त प्रार्थिया–अभियुक्ता से बस स्टैण्ड पर उक्त मादक–पदार्थ बरामद होना बताया गया है, उसी स्थान पर एक अन्य महिला रेखा से 306 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है और दोनों मामलों को एक बनाकर प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और मामलों को प्रार्थिया के संबंध में भी वाणिज्यिक मात्रा की अधिकता का होना बताया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया का अन्य महिला/अभियुक्ता रेखा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उनका तर्क

है कि उक्त दोनों अभियुक्ता एक परिवार की सदस्य नहीं हैं, आपस में रिश्तेदार नहीं हैं, न ही एक स्थान पर निवास करती हैं, दोनों एक वाहन में नहीं मिली हैं और वे एक–दूसरे से परिचित भी नहीं हैं। उनका तर्क है कि बस स्टैण्ड जैसे सार्वजनिक स्थल पर दोनों के आधिपत्य से भिन्न–भिन्न मात्रा में मादक–पदार्थ बरामद किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थिया के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण मात्रा (530 ग्राम स्मैक) उसके आधिपत्य से बरामद हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का मामला स्मैक की वाणिज्यिक मात्रा से कम का है। प्रार्थिया के विरूद्ध पूर्व का इसी प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रार्थिया दिनांक 19.09.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थिया को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थिया–अभियुक्ता और सहअभियुक्ता रेखा एक ही सहअभियुक्ता अमिता सांसी के द्वारा मंगवाए जाने पर मादक–पदार्थ लेकर जा रही थीं। उनका तर्क है कि प्रकरण में संलिप्त दोनों अभियुक्तागण की कॉल विवरण से अमिता सांसी से वार्तालाप किया जाना स्पष्ट है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया के अधिपत्य से, जिस मात्रा में स्मैक मिला है, वह वाणिज्यिक मात्रा से थोड़ा ही कम है। प्रकरण में अभी आरोप–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। अभी अन्वेषण चल रहा है। प्रार्थिया के विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारों के तर्क–वितर्क पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थिया–अभियुक्ता के आधिपत्य से 224 स्मैक बरामद किया गया है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से थोड़ा ही कम है। प्रार्थिया और सहअभियुक्ता रेखा द्वारा उक्त मादक–पदार्थ एक ही स्थान से लेकर आना बताया गया है। प्रकरण में हुए अनुसंधान से प्रकट होता है कि प्रार्थिया और सहअभियुक्त रेखा के मध्य पूर्व में भी बातचीत थी और दोनों एक साथ ही मादक–पदार्थ लेकर रवाना हुई हैं। प्रकरण में अभी अन्वेषण चल रहा है। प्रकरण में प्रार्थिया की विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का अभियोग है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी

किये बिना, प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /19